

मिट्टी धंसने का मामला मानवाधिकार आयोग में

■ NBT रिपोर्ट, गुडगांव

सिधरावली में सिग्नेचर ग्लोबल के एक प्रॉजेक्ट में मिट्टी धंसने से सात मजदूरों की मौत मामला मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आयोग को शिकायत भेजी है। कहा गया है कि बिल्डर की ओर से पचास फीट गहरी बेसमेंट में खुदाई के समय मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए। यह सुरक्षा उपकरण होते तो मजदूरों की जान बच सकती थी। इस केस में गिरफ्तार दो आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस मामले में जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है।

7 मजदूरों की जान गई थी, प्रशासन की कमिटी ने शुरु की जांच

- सिधरावली में एक प्रॉजेक्ट में लापरवाही बरतने का आरोप
- सामाजिक कार्यकर्ता ने भेजी शिकायत

आरोपियों को जेल भेजा: हादसे में सात मजदूरों की मौत हो गई थी, जब चार गंभीर रूप से घायल हैं। मानवाधिकार आयोग को रेवाड़ी के खरखड़ा निवासी प्रकाश यादव ने शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते ही यह हादसा हुआ है। मंगलवार को एक ही शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनो को सौंप दिया। बाकी शवों का गुरुवार को शव का पोस्टमॉर्टम होगा। इस मामले में अरेस्ट

प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश कुमार और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास पांडेय को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। मामले की जांच के लिए बनी कमिटी के अध्यक्ष मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। साइट विजिट कर लिया गया है। कंपनी को भी नोटिस कर पूछताछ किया जाएगा। इंडिस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ से भी इस बारे में एक्सपर्ट व्यू लिया जाएगा कि साइट पर सुरक्षा इंतजाम क्या होने चाहिए।



कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चर इंजीनियर को भेजा जेल

मृत मजदूरों का नहीं हो पाया पोस्टमार्टम, आज हो सकता है, परिवार वाले गुरुग्राम पहुंचे

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। एसटीपी प्लांट के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में मिट्टी धंसने से सात मजदूरों की मौत मामले में गिरफ्तार प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास पांडे को बुधवार को अदालत में पेश किया।

जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया है। बुधवार को मृत मजदूरों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। बिलासपुर थाने की पुलिस का कहना है कि मृतकों के परिवार वालों के देरी से आने के कारण बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

बिलासपुर क्षेत्र में ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कंपनी में निर्माणाधीन इमारत में फिलहाल काम को बंद कराया गया है। साइट के गेट को बंद करके वहां पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं।

बता दें कि हादसे में मृतक मजदूर राजस्थान के भरतपुर निवासी सतीश के भाई विष्णु यादव की शिकायत पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत दी गई है कि ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कंपनी, बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी (बीआईसीपीएल), दीनदयाल शर्मा उर्फ डीडी शर्मा (ठेकेदार), दिनेशवीर (प्रोजेक्ट इंचार्ज), विकास पांडे



हादसे के बाद कार्रवाई करती टीम। संवाद

(साइट स्ट्रक्चर इंचार्ज) व सेफ्टी इंचार्ज ऑफिसर द्वारा पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम व सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस कारण मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ है।

निर्माणाधीन साइट की जांच में सामने आया है कि मिट्टी की दीवारें कच्ची थीं और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। कच्ची दीवार का काफी हिस्सा हादसे से पहले गिर चुका था, लेकिन बिल्डर व ठेकेदार ने काम नहीं रूकवाया।

अगर बिल्डर व ठेकेदार यहां पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम व सेफ्टी उपकरण उपलब्ध कराते तो सात मजदूरों की जान नहीं जाती। वहीं, जांच में पाया गया है कि यहां एसटीपी की खोदाई के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी शिकायत

गहरे गड्ढे में मिट्टी धंसने से सात मजदूरों की मौत के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने राष्ट्रीय मानव

अधिकार आयोग को शिकायत भेजी है।

शिकायत के माध्यम से मामले की निष्पक्ष

व गहनता से जांच की मांग की है।

प्रकाश यादव ने आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि करीब 60 फीट गहरे वेसमेंट में श्रमिक काम कर रहे थे, लेकिन निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी व लापरवाही के कारण श्रमिकों की जान गई है, जोकि मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डर, ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मृतक श्रमिकों के परिवार वालों को उचित मुआवजा और घायल मजदूरों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अमर उजाला फॉलोअप

मोर्चरी में इन मजदूरों के शव रखे

गुरुग्राम की मोर्चरी में झारखंड के बनियारा निवासी शिवशंकर, झारखंड के होन्डई निवासी परमेश्वर मेहटो व धनंजय मेहटो, झारखंड के हाथी बिन्दा निवासी मंगल मेहटो और जमशेदपुर (झारखंड) के पोहिता निवासी भागीरथ गोपे व संजीव गोपे के शव रखे हुए हैं। मृतकों के परिवार वालों की उपस्थिति में बृहस्पतिवार को शवों का पोस्टमार्टम कराए जाने की संभावना है।



दोनों आरोपियों प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास पांडे को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मृतकों के परिवार वाले गुरुग्राम आ चुके हैं। बृहस्पतिवार को शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। -नरेंद्र, एएसआई, जांच अधिकारी

सात श्रमिकों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गुरुग्राम के सिधरावली में सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन परियोजना में मिट्टी धंसने से सात श्रमिकों की मौत के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डर, ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

शिकायत में कहा गया है कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में सीवेंज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए चला रही खोदाई के दौरान बेसमेंट में अचानक मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया।

इस दुर्घटना में सात श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रकाश यादव ने आयोग को भेजी शिकायत में कहा कि करीब 50 फीट गहरे बेसमेंट में श्रमिक काम कर रहे थे, लेकिन निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण श्रमिकों की जान गई है, जो मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग से मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाई जाए, हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डर, ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा मृतक श्रमिकों के स्वजन को उचित मुआवजा और घायल मजदूरों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अन्य संगठनों ने भी उठाए सवाल : श्रमिकों की मौत के मामले में प्रदेश कांग्रेस नेता डा. उदित राज ने भी एक्स पर पोस्ट जारी कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा कि शायद पुलिस की साठगांठ से डेड बाडी को कहीं डंप करके अपराध को छिपाने की कोशिश की जा रही थी।

● सोमवार शाम हुआ था हादसा, सामाजिक कार्यकर्ता ने मामले में गहन जांच की मांग की

● सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही से गई जानें, जो मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन

गिरफ्तार प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चर इंजीनियर को भेजा जेल

सात श्रमिकों की मौत के मामले में गुरुग्राम पुलिस की ओर से मंगलवार शाम गिरफ्तार किए गए प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास पांडेय को बुधवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इन दोनों से मामले के बारे में पूछताछ की गई थी। यह भी पूछा गया था कि हादसा कैसे हुआ। बिलासपुर थाना पुलिस ने मामले में सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी, एसटीपी प्लांट निर्माण का कार्य करने वाली बालाजी

कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठेकेदार दीनदयाल शर्मा उर्फ डीडी शर्मा, प्रोजेक्ट इंचार्ज दिनेश वीर, साइट स्ट्रक्चर इंचार्ज विकास पांडेय व सोफ्टी इंचार्ज आफिसर पर गैरइरादतन हत्या, सुरक्षा में लापरवाही समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। एसीपी पटौदी योगेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। कंपनी के प्रतिनिधियों और स्वजन के बीच मुआवजे पर बात चल रही है।

उन्होंने सरकार से मामले की गहन जांच कर प्रत्येक पीड़ित परिवार को पांच करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। यह भी कहा कि निर्माण स्थलों का तत्काल सुरक्षा आडिट होना चाहिए। दूसरी ओर भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के जिला सचिव हेमराज ने भी बयान जारी कर हरियाणा में श्रमिकों के साथ हो रहे लगातार हादसों पर गहरा रोष और शोक व्यक्त किया। उन्होंने गुरुग्राम की निर्माणाधीन सोसायटी और सफेदों की अवैध रंग फैंक्टरी की घटनाओं को 'सरकारी संरक्षण में की गई हत्या' करार दिया। गुरुग्राम की घटना पर हेमराज ने कहा कि बिल्डर और प्रबंधन ने मुनाफे के लिए सुरक्षा मानकों को ताख पर रख दिया। सात श्रमिकों की जान लेने के बाद शवों को गुपचुप तरीके से भिवाड़ी भेजना और सोसायटी पर बाउंसर तैनात करना यह सिद्ध करता है कि प्रबंधन साक्ष्य मिटाने का अपराधी है। यह महज हादसा नहीं, एक संगठित अपराध है। उन्होंने पूरे हरियाणा में चल रहे

निर्माण कार्यों और फैक्ट्रियों का सेफ्टी आडिट कराने की मांग की।

नहीं हो सके पोस्टमार्टम, कुछ श्रमिकों के शरीर में सरिया लगने की आशंका : सिग्नेचर ग्लोबल साइट पर मिट्टी धंसने की घटना में मृत सात में से छह श्रमिकों के शवों का तीसरे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। मंगलवार को भरतपुर के रहने वाले एक श्रमिक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपा गया था। वहीं अन्य श्रमिकों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाए गए हैं। सभी को 'सरकारी संरक्षण में की गई हत्या' के शरारत के रहने वाले थे। कुछ के परिवार के लोग मंगलवार शाम तक शहर पहुंचे। वहीं कुछ के परिवारवाले रास्ते में हैं। ऐसे में बुधवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सके। गुरुवार को बिलासपुर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। दूसरी ओर यह भी पता चला है कि जहां एसटीपी के लिए गड्ढा खोदा गया था, वहां नीचे स्लेप डालकर सरिया लगाई गई थी। मिट्टी में दबे कुछ श्रमिकों के शरीर में सरिया लगने की आशंका है।

NHRC seeks report on lack of amenities in CMC ward no 56

EXPRESS NEWS SERVICE @ Cuttack

THE NHRC has taken cognisance of a complaint alleging severe deprivation of basic civic amenities in ward no 56 of the CMC, and sought an action taken report (ATR) from authorities concerned in this regard within four weeks.

The complaint, dated February 24, 2026, was filed by Akshaya Kumar Pandey along others. The complaint alleged that though ward no 56 has been part of CMC since 1997, nearly 50,000 residents continue to live with-

out basic civic infrastructure like proper drainage system, pucca roads, street lights and bus service.

The complainants further raised concerns over safety hazards associated with the dilapidated bridge over Kuakhai river. Acting on the complaint, the NHRC directed its Registry to seek ATR on the matter from the chief secretary, DGP, the principal secretary of Transport department, the collector and district magistrate, Cuttack and the CMC municipal commissioner within four weeks.

Rain or shine, gig workers keep going

People urged to stay indoors from 12 noon to 4 pm, but it's Catch-22 situation for workers

M SAI GOPAL
HYDERABAD

While the State health officials have issued an advisory for the public to avoid venturing out between 12 noon and 4 pm to escape the intense heat, for the city's estimated 4 lakh gig workers, this is precisely the 'window' when their workday is most intense.

With temperatures already rising and Indian Meteorological Department (IMD), Hyderabad, indicating that some regions could hit 40 degree Celsius this week, the coming months are set to be the toughest for those involved in outdoor labour.

A collaborative study by HeatWatch and the Telangana Gig and Platform Workers union (TGPWU) titled "The Gig Workers Heat Trap" has highlighted the tough reality of working in harsh weather conditions.

The study (released in August, 2024), which covered gig and platform workers in Hyderabad, indicated that 52 per cent of the delivery and ride-hailing partners experience symptoms of heat exhaustion during summer.

The advisory issued by the Director of Public Health, Telangana, Dr B Ravinder Nayak, is quite

WORKERS SAFETY

GHMC must establish shaded hubs, cooling points with ORS and drinking water at delivery hotspots in Hyderabad



- Platforms must tweak their algorithms to disable penalties for those who stay offline during peak hours
- **12 noon to 4 pm** is the peak work hour for gig and platform workers
- Special drive to cover heat-related illness by public health wing for gig workers
- Need for accessible washrooms during long outdoor shifts

clear, which is to avoid sun during peak hours and stay hydrated. However, for those working for food delivery and quick-commerce apps, the peak heat hours also coincide with the lunchtime rush, which is the most lucrative period for earnings.

"The Health Department advisory may tell us to stay inside. But our app sends a notification for a high demand surge at exactly 1.30 pm. If a gig worker decides to log off to escape the heat, then he will also risk losing daily targets. It's a choice between heatstroke and an empty stomach," says founder president of TGPWU, Shaik Salauddin.

The Heatwatch-TGPWU report indicated that 46 per cent of workers surveyed reported frequent dizziness and nausea and yet only half

sought medical help due to financial constraints and lack of medical insurance.

The study pointed out a lack of 'cooling infrastructure, as such workers often have no access to clean drinking water or shaded rest zones between deliveries. Women workers faced disproportionate health risks, with a rise in UTIs reported due to inadequate access to public washrooms during long outdoor shifts.

"We have been raising this issue for a long time. In fact, we have submitted the report to multiple authorities, including NHRC and even the State government. There is a definite need for 'heat safety pay' and mandatory 15-minute cooling breaks every hour during days when there is a heat wave warning," says Salauddin.

NHRC seeks reports on lack of basic amenities in Cuttack

POST NEWS NETWORK

Bhubaneswar, March 11: The National Human Rights Commission (NHRC) Wednesday asked the state government to furnish reports within four weeks on the alleged lack of basic amenities in and around Ward-56 of the Cuttack Municipal Corporation (CMC).

The apex rights body's move came while hearing a plea filed by advocate Akshaya Kumar Pandey and a few residents of the locality.

In the petition, they alleged that though Ward-56 has been a part of the civic body for decades now, over 50,000 residents continue to suffer due to a lack of basic amenities such as drainage, pucca roads, streetlights and bus services.

They also raised concerns over the unsafe condition of the Kuakhai river bridge, unrestricted heavy vehicle movement on it, and the alleged negligence of authorities towards the issue, which they claim violates their fundamental and human rights.

Seeking urgent intervention

The NHRC move came while hearing a plea filed by advocate Akshaya Kumar Pandey and a few residents of Ward-56 under the Cuttack Municipal Corporation

They alleged that though Ward-56 has been a part of the civic body for decades now, over 50,000 residents continue to suffer due to a lack of basic amenities such as drainage, pucca roads, streetlights and bus services

from the NHRC, the petitioners urged the rights body to issue directions to the authorities concerned to provide essential facilities and ensure the safety of residents at the earliest.

"These issues directly implicate Article 21 of the Constitution of India, which guarantees the right to life and personal liberty," the NHRC observed.

The apex rights body asked the Chief Secretary, Director General of Police, Principal Secretary of the Commerce and Transport department, Cuttack Collector, and CMC Commissioner to submit reports on the issue within four weeks.

NHRC seeks ATRs on denial of civic amenities in Cuttack city

STATESMAN NEWS SERVICE

Bhubaneswar, 11 March:

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the State Government to furnish action taken reports (ATRs) on the alleged denial of basic civic amenities in an urban locality of Odisha's Cuttack Municipal Corporation.

Taking cognizance of a petition filed by advocate Akshaya Kumar Pandey and others in this regard the asked the Chief Secretary, the Director General of Police, the Principal Secretary, Transport Department, the Collector and District Magistrate, Cuttack and the Municipal Commissioner, Cuttack Municipal

Corporation to comply action taken reports within four weeks.

The complaint filed by Pandey and other residents of Ward No. 56 of Cuttack Municipality Corporation alleged that despite Ward No. 56 of Cuttack Municipal Corporation being part of the Municipality since 1997, more than 50,000 residents continued to be denied basic civic amenities such as drainage, pucca road, street light and bus services.

They further highlighted unsafe conditions on the dilapidated Kuakhai River Bridge, unrestricted heavy vehicle movement, and negligence by authorities, which they claim violate their fundamental and human

rights.

"If the allegations are true then it is a serious human rights violation. It is surprising that the Ward No. 56 is a part of Cuttack Municipality Corporation since 1997 and the residents of the said Ward are far away from the basic amenities. Instead of maintaining the River Bridge near the Ward by the authorities, they are keeping it endangered by allowing heavy vehicles on the bridge during a restricted time period. Bus facilities to the Ward are also not available. These issues directly implicate Article 21 of the Constitution of India, which guarantees the right to life and personal liberty", the NHRC stated in an order.



Source: <https://www.tribuneindia.com/news/jalandhar/flagging-civic-concerns-khanna-writes-to-railway-minister-and-rights-panels/amp>

Flagging civic concerns, Khanna writes to Railway Minister and rights panels

BJP leader forwards newspaper clippings pointing to issues concerning public services, civic infrastructure and requests the authorities to take action

Our Correspondent | PHAGWARA, Updated At : 02:32 AM Mar 12, 2026 IST

Former BJP MP Avinash Rai Khanna has written to Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw, the National Human Rights Commission and the Punjab State Human Rights Commission, urging them to take cognizance of several public grievances highlighted in The Tribune.

In separate representations dated March 11, Khanna forwarded newspaper clippings pointing to issues concerning public services and civic infrastructure and requested the authorities to take appropriate action.

In his communication to Vaishnaw, Khanna referred to a report titled "For decades, coolie at railway station denied rest room facility." The report highlighted the lack of basic amenities for a porter who has been denied access to a rest room facility at a railway station for decades. Terming the issue a matter of concern, Khanna requested the Railway Ministry to look into the matter and ensure that facilities are provided to the worker. Raising the issue separately with the NHRC, Khanna stated that the circumstances described in the news report appeared to point to the violation of basic human rights. He urged the commission to take cognizance of the matter, conduct an inquiry and consider recommending relief or compensation to the affected individual if the allegations were found to be substantiated.

Khanna also approached the Punjab State Human Rights Commission regarding other public service issues highlighted in media reports. One of the matters concerns oxygen plants installed in government hospitals in Phagwara and Kapurthala, which according to a report titled "8 yrs on, oxygen plants in Phagwara, Kapurthala Civil Hospitals lying defunct," have remained non-operational for years despite the investment made in the infrastructure. In his representation, Khanna requested the commission to examine the issue and direct the authorities to take corrective steps in the interest of public health.

In another letter, he referred to a report stating that a multi-storey parking facility constructed in Phagwara around Rs 10 crore continues to remain underutilised even several years after its completion, while traffic congestion in the city persists. Citing the report, Khanna urged the commission to take cognizance of the issue and review the matter to ensure accountability for the delay in effective utilisation of the public facility.



Source: <https://up18news.com/brmg-su-hosts-workers-meet-in-new-barrackpore-nhrc-member-attends-new-barrackpore/>

BRMG SU Hosts Workers' Meet in New Barrackpore; NHRC Member Attends New Barrackpore

March 11, 2026 up18news

New Delhi [India], March 11: A major conference on human rights awareness and social security for unorganised workers was organised by the Bharatiya Railway Mall Godam Shramik Union (BRMG SU) at Kristi Auditorium in New Barrackpore on Saturday, bringing together workers, labour leaders and representatives from multiple sectors.

Priyank Kanoongo, Member of the National Human Rights Commission (NHRC), Government of India, attended the programme as the chief guest and addressed the gathering on the need to strengthen awareness about workers' rights and welfare schemes.

The event was attended by several leaders of BRMG SU, including Dr. Parimal Kanti Mondal, National President; Shri Indu Sekhar Chakraborty, General Secretary; and Shri Kashinath Gayen, National Convenor, along with other members and representatives of the organisation.

Workers from different segments of the unorganised sector participated in the conference. Those present included goods shed workers, construction labourers, agricultural labourers, gig workers, auto drivers, bidi workers and private tutors. Discussions during the programme focused on issues related to the new labour codes, protection of workers' rights and the expansion of social security coverage for workers in the unorganised sector.

Addressing the gathering, Priyank Kanoongo said that ensuring human rights and social security for unorganised workers is increasingly important and stressed the need to create greater awareness among workers about their legal rights and the welfare schemes available to them.

The conference also witnessed the launch of a monthly labour magazine titled "Shramik Bharat", published by BRMG SU. The inaugural issue of the magazine was formally released by the chief guest during the programme. Speaking on the occasion, Dr. Parimal Kanti Mondal said that the publication aims to serve as a platform for workers and will help spread awareness about labour rights, labour laws and social security among members of the working community.

Leaders and participants at the conference also emphasised the importance of unity among workers and called for organised efforts to safeguard the rights of unorganised labour while strengthening social protection measures across the country.

Source: <https://english.dainikjagranmpcg.com/states/chhattisgarh/sex-racket-busted-in-bhilai-gang-arrested-west-bengal-girls/article-15185>

Sex Racket Busted in Bhilai: Gang Arrested, West Bengal Girls Rescued — Chhattisgarh's Dark Human Trafficking Crisis Exposed

Digital Desk

On 11 Mar 2026

They were promised work. They were given chains instead.

In a significant crackdown on organised flesh trade in central India, Durg Police dismantled a sex racket operating in Bhilai, Chhattisgarh, arresting multiple members of the gang and rescuing girls who had been trafficked from West Bengal. The raid, carried out on specific intelligence inputs, uncovered a lodging-based operation where young women were being commercially exploited under the control of organised traffickers.

The accused have been booked under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (ITPA) — India's primary legal framework against organised prostitution and trafficking. The rescued victims have been taken into protective custody and handed over to a women's shelter for medical aid and counselling.

But for every woman rescued in Bhilai today, dozens more remain trapped in similar dens across Chhattisgarh — unseen, unheard, and uncounted.

How the Bhilai Racket Operated

According to police sources, the sex racket was operating out of a hotel in Bhilai, with pimps acting as intermediaries. On receiving a complaint, the police sent a decoy and arrived at the location in their true capacity, arresting the hotel owner and a receptionist and sending them to jail. India TV News

The operation's architecture is typical of inter-state trafficking networks that have flourished across industrial towns in central India. A recruiter in West Bengal — often a woman herself, operating within the victim's own community — lures young girls with promises of domestic work, factory employment, or marriage. The girl is transported across state lines, stripped of her documents, and sold to a local operator in cities like Bhilai, Raipur, or Durg.

Shakti Vahini, a pan-India anti-trafficking NGO, estimates that out of every ten girls rescued from brothels and red light areas across the country, seven are from Bengal's North and South 24 Parganas districts. Newr Kerala The route from Bengal to Chhattisgarh is well-worn, well-organised, and well-protected by corrupt intermediaries at multiple points along the chain.

Why West Bengal Girls Are Disproportionately Targeted

This is not coincidence. It is calculation.

An organised human trafficking network operating in North Bengal — specifically targeting young women from areas near several closed tea gardens — has emerged as a major challenge for the West Bengal police. Traffickers are frequently changing their modes of transportation, and investigating officers are also probing the involvement of fake voluntary and non-governmental organisations which had been running offices in vulnerable areas, posing as organisations promising social and economic welfare. Outlook India

The economic vulnerability of these communities is the traffickers' primary weapon. The touts always talk of jobs, and families happily comply — and cash is regularly sent back to families so that traffickers can pick up more girls. New Kerala By the time a family realises their daughter is not at a textile factory in Surat or a home in Bhopal, she

is already hundreds of kilometres away in a lock-up with no documents, no phone, and no way out. Between 2018 and 2022, more than 10,000 trafficking cases were registered in India — yet the conviction rate was just 19.4% in 2022. The Quint The criminals know this. The low risk of conviction is itself a business incentive.

Chhattisgarh's Deepening Problem

Bhilai — as an industrial Steel City with a large migrant population, high cash-in-hand economy, and significant labour workforce — has long been a destination zone for trafficking networks. The combination of anonymity, demand, and easy access from major railway and road routes makes it an operational sweet spot for organised exploitation.

In a Bhopal sex racket case investigated just weeks ago, victims from Chhattisgarh's own Mungeli district were allegedly taken to Ahmedabad on the pretext of work, subjected to sexual assault, and threatened with death if they disclosed the matter — with mobile phones confiscated and victims kept under constant surveillance.

IndiaMART The pattern repeats itself with mechanical precision across India's industrial heartland.

For the girls rescued in Bhilai, the journey to recovery has just begun. Trauma counselling, legal support, repatriation to their home state, and rehabilitation are all complex, resource-intensive processes that India's overburdened shelter systems struggle to provide adequately.

The Legal Framework — and Where It Falls Short

India's anti-trafficking laws are, on paper, comprehensive. The ITPA allows for prosecution of brothel operators, recruiters, and those who profit from trafficking. The BNS Section 143(2) specifically addresses trafficking of persons. The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act adds another layer for minors.

And yet:

Anti-Human Trafficking Units (AHTUs) have been established in several states, but their impact has been limited — in hotspots like West Bengal and Andhra Pradesh, only three out of 198 trafficking cases led to convictions over a decade. The Quint

After rescuing trafficking victims, Indian police frequently do not take them to shelter centres — instead filing cases against victims under criminal law, treating them as accused rather than survivors. WebIndia123

Traffickers are defended by expert criminal lawyers, while victims are left to fight their cases alone, often without legal aid, translation support, or safe housing during the trial period.

The Bhilai case will follow this same legal pipeline unless Durg Police, the Chhattisgarh government, and the National Human Rights Commission ensure that the rescued girls receive full victim status — not criminal status — from day one.



Source: <https://www.tribuneindia.com/news/haryana/new-bill-bars-police-complaint-authority-from-probing-cases-after-chargesheet/amp/>

Haryana: New Bill bars Police Complaint Authority from probing cases after chargesheet

Legislation to be introduced in ongoing budget session of Assembly

Bhartesh Singh Thakur

Tribune News Service

Chandigarh, Updated At : 11:18 AM Mar 11, 2026 IST

The Haryana Home Department is set to introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2026, proposing significant changes in the functioning and jurisdiction of the State Police Complaint Authority.

Under the proposed legislation, the Authority will no longer be able to inquire into cases where a chargesheet (challan) has already been filed in a court. The Bill also proposes that complaints received by the Authority must be decided within six months.

Chief Minister Nayab Singh Saini, who also holds the Home portfolio, is expected to table the Bill during the ongoing budget session of the Haryana Vidhan Sabha.

At present, the State Police Complaint Authority investigates allegations of serious misconduct against police personnel of the rank of DSP and above. The Authority can take up cases suo motu, on complaints filed by victims or their representatives, or on references from bodies such as the National Human Rights Commission (NHRC) or the State Human Rights Commission (SHRC).

Serious misconduct under its purview includes allegations such as death, rape or grievous hurt in police custody, extortion, acquisition of property through coercion, involvement in organised crime, and wilful inaction in offences carrying a minimum punishment of 10 years or more.

However, according to the proposed amendments to the Haryana Police Act, 2007, the Authority “shall not inquire” into any matter where a report under Section 193 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 —relating to the filing of a chargesheet after completion of investigation — has already been submitted before a competent court.

The Bill also bars the Authority from examining matters that are pending before or have already been dealt with by bodies such as the National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Castes, State Commission for Scheduled Castes, or similar national and state commissions.

In addition, the Authority will not be allowed to take up complaints related to incidents that occurred more than five years earlier.

The Bill further restricts the Authority from probing “any matter arising out of use of force by the police authorities in dealing with any unlawful assembly, protest, dharna, blockade of any public passage or disruption of essential services.”

Similar provisions have also been proposed for the District Police Complaint Authorities, which deal with complaints against police personnel up to the rank of Inspector.

“The amendments are required for proper and effective functioning of the State Police Complaint Authority and the District Police Complaint Authority,” said a senior official of the Home Department.



Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-takes-cognisance-of-plaint-claiming-denial-of-basic-amenities-in-cmc-ward/articleshow/129472987.cms>

NHRC takes cognisance of plaint claiming denial of basic amenities in CMC ward

TNN | Mar 11, 2026, 10.42 PM IST

Cuttack: The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday took cognisance of a complaint alleging denial of basic civic amenities to nearly 50,000 residents of Ward No. 56 under the Cuttack Municipal Corporation (CMC), despite the area being part of the civic body since 1997.

Following its preliminary examination, the NHRC has directed its registry to forward the complaint to the chief secretary, the DGP, the principal secretary of the transport department, the collector and the district magistrate of Cuttack, and the municipal commissioner of CMC. Authorities concerned have been asked to submit detailed action taken reports within four weeks.

The complaint, received on Feb 24 from Akshaya Kumar Pandey and several local residents, alleged that people in the ward continue to face severe infrastructural deficiencies, including the absence of drainage facilities, pucca roads, street lights and public bus connectivity.

The petitioners also highlighted safety concerns regarding the deteriorating bridge over the Kuakhai river near the ward. According to the complaint, heavy vehicles are allegedly allowed to ply across the ageing structure even during restricted hours, posing risks to commuters and residents. They accused authorities of negligence in maintaining the bridge and regulating vehicular movement.

“If the allegations are true, then it is a serious human rights violation,” the commission observed in the order. The commission further noted that the issues raised in the complaint directly relate to the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution.

Ward No. 56 comprises several villages, including Uttamapur, Subhadrapur, Tentulinali, Gopalpur (P), Amaniapatana, Mukameswar, Behera Sahi, Kazipatna, Balikuda (Nuabazar), Paika Sahi (P), Bhanpur (P), Rajnagar Patana, Sampur and Gopalpur Badhei Sahi.

Source: <https://www.jagran.com/haryana/gurgaon-gurugram-soil-collapse-nhrc-demands-probe-into-7-deaths-at-signature-global-project-40167615.html>

मानवाधिकार आयोग पहुंचा गुरुग्राम सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट हादसा केस, 7 मौतों की छिपाने की हुई कोशिश

By Vinay Trivedi Edited By: Pooja Tripathi

Updated: Wed, 11 Mar 2026 10:28 AM (IST)

गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट में मिट्टी धंसने से सात श्रमिकों की मौत के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। उन्होंने स्वतंत्र जांच, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग की है।

HighLights

गुरुग्राम में मिट्टी धंसने से सात श्रमिकों की मौत।

मानवाधिकार आयोग से स्वतंत्र जांच और कार्रवाई की मांग।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी से हुआ बड़ा हादसा।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में निर्माणाधीन परियोजना में मिट्टी धंसने से सात श्रमिकों की मौत के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की है।

शिकायत में बताया गया है कि गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र के सिधरावली गांव में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए चल रही खोदाई के दौरान बेसमेंट में अचानक मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में सात श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए।

शिकायतकर्ता ने आयोग से की ये मांग

प्रकाश यादव ने आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि करीब 60 फीट गहरे बेसमेंट में श्रमिक काम कर रहे थे, लेकिन निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण श्रमिकों की जान गई है, जो मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

आयोग से मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाई जाए, हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डर, ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा मृतक श्रमिकों के स्वजन को उचित मुआवजा और घायल मजदूरों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

Source:

<https://www.bhaskar.com/amp/local/punjab/ludhiana/news/instructions-to-provide-financial-assistance-to-rape-victims-dbp-137403881.html>

रेप पीड़िताओं को आर्थिक मदद देने के निर्देश

लुधियाना 15 घंटे पहले

भास्कर न्यूज़ | लुधियाना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही मानवाधिकार और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा की। बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समाज के हर वर्ग के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को उनके अधिकारों का पूरा संरक्षण मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। बैठक के दौरान उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर विशेष जोर दिया। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज होने वाली प्रत्येक प्राथमिकी की जानकारी 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से बाल कल्याण समिति को दी जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है और इसका सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि पीड़ित बच्चों को समय पर सुरक्षा और सहायता मिल सके।

इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सुरक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति समुदाय की बलात्कार पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जल्द से जल्द जारी की जाए। उन्होंने पुलिस विभाग से जिले में दर्ज ऐसे मामलों की विस्तृत जानकारी भी मांगी। बैठक में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, नमस्ते योजना, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा आयुष्मान भारत योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई और अधिकारियों को इनके प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए।

इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त पूनम सिंह, डॉ. नरिंदर सिंह ढिल्लों, एसडीएम कुलदीप बावा, सहायक आयुक्त पायल गोयल, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि और जेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अतिरिक्त उपायुक्त पूनम सिंह ने जिले में लागू योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन पारदर्शी व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और मानवाधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/gurgaon-nhrc-seeks-probe-in-gurugram-signature-global-soil-collapse-deaths-40168290.html>

सिग्नेचर ग्लोबल हादसे श्रमिक संगठनों ने की NHRC जांच की मांग, अब तक प्रोजेक्ट मैनेजर-इंजीनियर गिरफ्तार

By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari

Updated: Wed, 11 Mar 2026 08:47 PM (IST)

गुरुग्राम के सिधरावली में सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन परियोजना में मिट्टी धंसने से सात श्रमिकों की मौत हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता उदित राज और मजदूर यूनियन ने भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

HighLights

सिग्नेचर ग्लोबल साइट पर मिट्टी धंसने से सात श्रमिकों की मौत।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से मामले की स्वतंत्र जांच की मांग।

प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर गिरफ्तार, सुरक्षा मानकों की अनदेखी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सिधरावली में सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन परियोजना में मिट्टी धंसने से सात श्रमिकों की मौत के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डर, ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

अचानक मिट्टी धंसने से हुआ हादसा

शिकायत में कहा गया है कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए चल रही खोदाई के दौरान बेसमेंट में अचानक मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में सात श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रकाश यादव ने आयोग को भेजी शिकायत में कहा कि करीब 50 फीट गहरे बेसमेंट में श्रमिक काम कर रहे थे, लेकिन निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा

इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण श्रमिकों की जान गई है, जो मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

आयोग से मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाई जाए, हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डर, ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा मृतक श्रमिकों के स्वजन को उचित मुआवजा और घायल मजदूरों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अन्य संगठनों ने भी उठाए सवाल

श्रमिकों की मौत के मामले में प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज ने भी एक्स पर पोस्ट जारी कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा कि शायद पुलिस की साठ-गांठ से डेडबॉडी को कहीं डंप करके अपराध को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने सरकार से मामले की गहन जांच कर प्रत्येक पीड़ित परिवार को पांच करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण स्थलों का तत्काल सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। दूसरी ओर भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के जिला सचिव हेमराज ने भी बयान जारी कर हरियाणा में श्रमिकों के साथ हो रहे लगातार हादसों पर गहरा रोष और शोक व्यक्त किया। उन्होंने गुरुग्राम की निर्माणाधीन सोसाइटी और सफ़ीदों की अवैध रंग फैक्टरी की घटनाओं को 'सरकारी संरक्षण में की गई हत्या' करार दिया।

मुनाफे के लिए जिंदगी लगा दी दांव पर

गुरुग्राम की घटना पर हेमराज ने कहा कि बिल्डर और प्रबंधन ने मुनाफे के लिए सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया। सात श्रमिकों की जान लेने के बाद शवों को गुपचुप तरीके से भिवाड़ी भेजना और सोसाइटी पर बाउंसर तैनात करना यह सिद्ध करता है कि प्रबंधन साक्ष्य मिटाने का अपराधी है। यह महज हादसा नहीं, एक संगठित अपराध है। उन्होंने पूरे हरियाणा में चल रहे निर्माण कार्यों और फैक्ट्रियों का तत्काल सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की।

कुछ श्रमिकों को सरिया लगने की आशंका

सिग्नेचर ग्लोबल साइट पर मिट्टी धंसने की घटना में मृत सात में से छह श्रमिकों के शवों का तीसरे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। मंगलवार को भरतपुर के रहने वाले एक श्रमिक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपा गया था। वहीं, अन्य श्रमिकों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाए गए हैं। सभी झारखंड के रहने वाले थे। कुछ के परिवार के लोग मंगलवार शाम तक शहर पहुंचे। वहीं कुछ के परिवारवाले रास्ते में हैं।

ऐसे में बुधवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सके। गुरुवार को बिलासपुर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। दूसरी ओर यह भी पता चला है कि जहां एसटीपी के लिए गड्ढा खोदा गया था, वहां नीचे स्लेप डालकर सरिया लगाई गई थी। मिट्टी में दबे कुछ श्रमिकों के शरीर में सरिया लगने की बात भी सामने आ रही है।

पोस्टमार्टम में इसकी जानकारी सामने आ सकती है।

गिरफ्तार प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चर इंजीनियर को भेजा जेल

सात श्रमिकों की मौत के मामले में गुरुग्राम पुलिस की ओर से मंगलवार शाम गिरफ्तार किए गए प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास

पांडेय को बुधवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इन दोनों से मामले के बारे में पूछताछ की गई थी। यह भी पूछा गया था कि हादसा कैसे हुआ। बिलासपुर थाना पुलिस ने मामले में सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी, एसटीपी प्लांट निर्माण का कार्य करने वाली बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठेकेदार दीनदयाल शर्मा उर्फ डीडी शर्मा, प्रोजेक्ट इंचार्ज दिनेश वीर, साइट स्ट्रक्चर इंचार्ज विकास पांडे व सेफ्टी इंचार्ज ऑफिसर पर गैर इरादतन हत्या, सुरक्षा में लापरवाही समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।

एसीपी पटौदी योगेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। फिलहाल कंपनी के प्रतिनिधियों और स्वजन के बीच मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है।

Source: <https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/raisen/nhrc-takes-cognizance-of-controversial-raisen-fort-video-case-seeks-report-from-collector-sp-and-asi-raisen-news-c-1-1-noi1454-4036995-2026-03-11>

Raisen News: किले के विवादित वीडियो मामले में NHRC का संज्ञान, कलेक्टर-एसपी और एसआई से मांगी रिपोर्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायसेन Published by: रायसेन ब्यूरो Updated Wed, 11 Mar 2026 08:46 PM IST

सार

रायसेन

रायसेन किले में ऐतिहासिक तोप के कथित अवैध उपयोग से जुड़ा वीडियो वायरल होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने रायसेन कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसआई से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

विस्तार

ऐतिहासिक रायसेन किले में तोप के कथित अवैध उपयोग और उससे जुड़ा विवादित वीडियो के वायरल होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया। आयोग ने जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग से जवाब-तलब किया है।

एनएचआरसी ने रायसेन कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) के क्षेत्रीय निदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, हाल ही में रायसेन किले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग किले की प्राचीर पर मौजूद ऐतिहासिक तोप का उपयोग करते और नारेबाजी करते दिखाई दिए थे।

इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे इलाके में विवाद की स्थिति बन गई थी और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर भी चिंता जताई गई थी। मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आयोग ने माना है कि धरोहरों की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा में चूक सामने आती है तो यह गंभीर मामला माना जाएगा।

सवाल: पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि किले की सुरक्षा व्यवस्था क्या है और उस समय वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने क्या कार्रवाई की। इसके अलावा प्रशासन से यह भी जानकारी मांगी गई है कि घटना के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है।

एनएचआरसी ने पुलिस अधीक्षक से भी पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह बताया जाए कि वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की पहचान कैसे की गई, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है। वहीं, पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय निदेशक से किले की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और धरोहर संरक्षण से जुड़े उपायों की जानकारी देने को कहा गया है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



Source: <https://www.amarujala.com/haryana/rewari/complaint-sent-to-national-human-rights-commission-regarding-gurugram-accident-rewari-news-c-198-1-rew1001-234841-2026-03-12>

Rewari News: गुरुग्राम हादसे को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी शिकायत

रोहतक ब्यूरो

Updated Thu, 12 Mar 2026 12:23 AM IST

धारूहेड़ा। गुरुग्राम में निर्माणाधीन परियोजना में मिट्टी धंसने से मजदूरों की मौत के मामले को लेकर गांव खरखड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की है।

शिकायत में बताया गया है कि गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र के सिधरावली गांव में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए चल रही खुदाई के दौरान बेसमेंट में अचानक मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में सात मजदूरों की मौत हो गई जबकि चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

करीब 60 फीट गहरे बेसमेंट में मजदूर काम कर रहे थे लेकिन निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण मजदूरों की जान गई है जो मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

उन्होंने आयोग से मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाई जाए, हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डर, ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मृतक मजदूरों के परिजनों को उचित मुआवजा व घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संवाद



Source: <https://www.univarta.com/%E0%A4%B0-%E0%A4%AF%E0%A4%B8-%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%B2-%E0%A4%AE-%E0%A4%A4-%E0%A4%AA-%E0%A4%9A%E0%A4%B2-%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%B2-%E0%A4%AE-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%A7-%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AF-%E0%A4%97-%E0%A4%95-%E0%A4%A8-%E0%A4%9F-%E0%A4%B8/madhya-pradesh-chhattisgarh/news/3770699.html>

रायसेन किले में तोप चलाने के मामले में मानवाधिकार आयोग का नोटिस

Uniindia News Service

राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ Posted at: Mar 11 2026 8:14PM रायसेन, 11 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के रायसेन किले में तोप के अवैध उपयोग और वायरल वीडियो के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने रायसेन के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।